अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 28ङ का संशोधन।

65. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 28ङ में,— 1962 का 52

(क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ग) "आवेदक" से अभिप्रेत है,—

(i) (क) कोई ऐसा अनिवासी जो किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ख) कोई ऐसा निवासी जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ग) पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी कोई विदेशी कंपनी है,

यथास्थिति, जिसने या जो भारत में किसी कारबारी क्रियाकलाप को करने का प्रस्ताव किया है या करता है ;

(ii) भारत में कोई संयुक्त उद्यम ; या

(iii) व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाला ऐसा कोई निवासी जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

और, यथास्थिति, जो या जिसने धारा 28ज की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन करता है या किया है;';

(ख) खंड (ङ) में, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 28च का संशोधन।

66. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28च की उपधारा (1) में, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 28ज का संशोधन।

67. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (2) के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) माल के उद्गम के नियमों और उससे संबंधित अन्य विषयों का अवधारण ।"।

धारा 127डक का संशोधन।

68. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127डक में,—

(क) उपधारा (6) में, "धारा 127ग" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 127ग की उपधारा (1) और धारा 127झ" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(8) समझौता आयोग, यदि उसकी यह राय है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने उपधारा (5) के अधीन आवेदन किया है, उसके समक्ष कार्यवाहियों में उसके साथ सहयोग नहीं किया है तो वह मामले को अपील अधिकरण में वापस भेज सकेगा और तदनुसार धारा 129क, धारा 129ख और धारा 129ग में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।" ।

धारा 128क का संशोधन।

69. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (5) में, "सीमाशुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 129क का संशोधन।

70. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क में,—

(क) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) बोर्ड, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन कर सकेगा, जो दो मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तों से मिलकर बनेगी । ";

(ख) उपधारा (2) में—

(i) "यदि सीमाशुल्क आयुक्त की यह राय है" शब्दों के स्थान पर " यदि मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तों की समिति की यह राय है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "उसकी ओर से" शब्दों के स्थान पर "इसकी ओर से" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 129घ का संशोधन।

71. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ में "बोर्ड" शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वह आता है, "मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तों की समिति" शब्द रखे जाएंगे ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

72. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 1975 का 51

उत्पाद-शुल्क, विक्रय-कर, स्थानीय करों और अन्य प्रभारों के बराबर अतिरिक्त शुल्क का उद्ग्रहण।

'3. (1) किसी वस्तु पर, जिसका भारत में आयात किया जाता है, ऐसा अतिरिक्त शुल्क (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अतिरिक्त शुल्क कहा गया है) उद्गृहीत किया जाएगा जो वैसी ही वस्तु पर, जिसका यदि भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया जाता है तो, तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के बराबर होगा और यदि वैसी ही वस्तु पर ऐसा उत्पाद-शुल्क उसके मूल्य के किसी प्रतिशतता पर उद्ग्रहणीय है तो उस अतिरिक्त शुल्क की संगणना, जिसके लिए आयातित वस्तु इस प्रकार दायी होगी, उस आयातित वस्तु के मूल्य की उसी प्रतिशतता पर, की जाएगी :

परन्तु मानव उपभोग के लिए भारत में आयातित किसी मद्यसारिक लिकर की दशा में, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विभिन्न राज्यों में उत्पादित या विनिर्मित उसी प्रकार के मद्यसारिक लिकर पर तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क को ध्यान में रखते हुए या यदि किसी राज्य में उसी प्रकार के मद्यसारिक लिकर का उत्पादन या विनिर्माण नहीं होता है तो, उस उत्पाद-शुल्क को ध्यान में रखते हुए, उस वर्ग या वर्णन के मद्यसारिक लिकर पर, जिससे ऐसी आयातित लिकर संबंधित है, विभिन्न राज्यों में तत्समय उद्ग्रहणीय होगा, अतिरिक्त शुल्क की दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "वैसी ही वस्तु पर, जिसका यदि भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया जाता है तो, तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त वह उत्पाद-शुल्क जो वैसी ही वस्तु पर, यदि उसका भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया जाता है, तो उद्ग्रहणीय होता, अथवा यदि वैसी ही वस्तु का इस प्रकार उत्पादन या विनिर्माण नहीं किया जाता है तो, तत्समय प्रवृत्त वह उत्पाद-शुल्क जो उस वर्ग या वर्णन की वस्तुओं पर, जिस वर्ग या वर्णन की यह आयातित वस्तु है, उद्ग्रहणीय होता और जहां ऐसा शुल्क भिन्न-भिन्न दरों पर उद्ग्रहणीय है वहां अधिकतम शुल्क ।

(2) उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन किसी आयातित वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क संगणित करने के प्रयोजन के लिए, उस दशा में जब ऐसा शुल्क उसके मूल्य के किसी प्रतिशत पर उद्ग्रहणीय है, उस आयातित वस्तु का मूल्य, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :— 1962 का 52

(i) यथास्थिति, आयातित वस्तु का धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित मूल्य अथवा ऐसी वस्तु का उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियत टैरिफ मूल्य ; और

(ii) उस वस्तु पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन प्रभार्य कोई सीमाशुल्क और उस वस्तु पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति से प्रभार्य, कोई राशि, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,— 1962 का 52

(क) उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट शुल्क;

(ख) धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क ;

(ग) धारा 9 में निर्दिष्ट प्रतिरोधी शुल्क ;

(घ) धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क :

परंतु भारत में आयातित किसी वस्तु की दशा में,—

(क) जिसके संबंध में बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसी वस्तु के पैकेज पर उस वस्तु की फुटकर विक्रय कीमत घोषित करने की अपेक्षा की जाती है; और 1976 का 60

(ख) जहां भारत में उत्पादित या विनिर्मित उसी प्रकार की वस्तु या उस दशा में, जहां उसी प्रकार की ऐसी वस्तु का उत्पादन या विनिर्माण नहीं किया जाता है वहां उन वस्तुओं का, जिनसे आयातित वस्तु संबंधित है, वर्ग या वर्णन वह माल है, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए, 1944 का 1

आयातित वस्तु का मूल्य, ऐसी फुटकर विक्रय कीमत में से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन उसी प्रकार की वस्तु की बाबत अनुज्ञात करे, मंदी की ऐसी रकम को, यदि कोई हो, घटाकर, आयातित वस्तु के संबंध में घोषित फुटकर विक्रय कीमत समझा जाएगा । 1944 का 1

स्पष्टीकरण—जहां किसी आयातित वस्तु पर एक से अधिक फुटकर विक्रय कीमत घोषित की जाती है वहां ऐसी अधिकतम फुटकर विक्रय कीमत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के प्रयोजन के लिए फुटकर विक्रय कीमत है ।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी आयातित वस्तु पर [चाहे उस पर उपधारा (1) के अधीन शुल्क उद्ग्रहणीय है या नहीं] ऐसा अतिरिक्त शुल्क उद्गृहीत करना लोकहित में आवश्यक है जो ऐसी कच्ची सामग्री, घटकों या संघटकों पर जो ऐसी वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री, घटकों या संघटकों की प्रकृति के हैं या उनके समान है, उद्ग्रहणीय शुल्क को प्रतिसंतुलित कर देगा तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी आयातित वस्तु पर ऐसी कच्ची सामग्री, घटकों और संघटकों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग के बराबर अतिरिक्त शुल्क भी उद्गृहीत होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा, किसी दशा में, अवधारित किया जाए ।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए कोई नियम बनाने में, केन्द्रीय सरकार वैसी ही वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री, घटकों या संघटकों पर संदेय उत्पाद-शुल्क की औसत मात्रा का ध्यान रखेगी ।

(5) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी आयातित वस्तु पर उद्ग्रहण करना लोकहित में आवश्यक है चाहे ऐसी वस्तु पर, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन शुल्क उद्ग्रहणीय है या नहीं, ऐसा अतिरिक्त शुल्क, जो तत्समय विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय कर या किसी अन्य प्रभार का जो भारत में इसके विक्रय, क्रय या परिवहन पर वैसी ही वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय है, प्रतिसंतुलन करेगा तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी आयातित वस्तु इसके अतिरिक्त उस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट आयातित वस्तु के मूल्य के चार प्रतिशत से अनधिक की दर से किसी अतिरिक्त शुल्क की दायी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "भारत में वैसी ही किसी वस्तु के विक्रय, क्रय या परिवहन पर तत्समय, उद्ग्रहणीय विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय कर या अन्य कोई प्रभार" पद से अभिप्रेत है वह विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय कर या अन्य प्रभार जो वैसी ही वस्तु पर, यदि उसका भारत में विक्रय या क्रय किया जाता है, तत्समय उद्ग्रहणीय होता, अथवा यदि वैसी ही वस्तु का इस प्रकार विक्रय या क्रय नहीं किया जाता है तो, वह शुल्क जो उस वर्ग या वर्णन की वस्तुओं पर, जिस वर्ग या वर्णन की वे आयातित वस्तुएं हैं और जहां, यथास्थिति, ऐसे उच्चतम कर या प्रभार विभिन्न दरों पर उद्ग्रहणीय हैं वहां, यथास्थिति, ऐसा उच्चतम कर या ऐसा प्रभार ।

(6) उपधारा (5) के अधीन किसी आयातित वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क संगणित करने के प्रयोजन के लिए, उस आयातित वस्तु का मूल्य, उपधारा (2) या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :— 1962 का 52

(i) यथास्थिति, आयातित वस्तु का सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित मूल्य अथवा ऐसी वस्तु का उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियत टैरिफ मूल्य; और 1962 का 52

(ii) उस वस्तु पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन प्रभार्य कोई सीमाशुल्क और उस वस्तु पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति से प्रभार्य, कोई राशि, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है— 1962 का 52

(क) उपधारा (5) में निर्दिष्ट शुल्क ;

(ख) धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क ;

(ग) धारा 9 में निर्दिष्ट प्रतिरोधी शुल्क ;

(घ) धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क ।

(7) इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(8) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत वापसियों, प्रतिदायों और शुल्कों से छूट संबंधी उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों को लागू होते हैं ।'। 1962 का 52

धारा 3क का लोप।

73. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क का लोप किया जाएगा ।

पहली अनुसूची का संशोधन।

74. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में, पहली अनुसूची का, दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।